छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 1162/2003.

याचिकाकर्ता : रोहित सिंह, उम्र 55 वर्ष, पुत्र मधुवा सिंह, पंप ऑपरेटर जोंक नहर, उपविभाग क्रमांक 2 सिंचाई विभाग, पौनी, तहसील बिलाईगढ़, जिला रायपुर (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरदाता :(1) छत्तीसगढ़ राज्य, सचिव के माध्यम से, सिंचाई विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

(2) अनुविभागीय अधिकारी. जोंक नाहर, सब डिवीजन नंबर 2 पौनी, तह. - बिलाईगढ़, जिला. रायपुर (छ.ग.)

(3) कार्यपालन अभियंता, जोंक नहर, जल संसाधन संभागीय कार्यालय, कसडोल तहसील कसडोल, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/221 के तहत मामले या निर्देश या किसी अन्य आदेश के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार परमादेश या किसी अन्य प्रपत्र में रिट जारी करने के लिए रिट याचिका:

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(छ.ग.)

रिट याचिका संख्या 1162/2003

रोहित सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य।

आदेश

पोस्ट करें 25.07.2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (सी.जी.)

रिट याचिका संख्या 1162/2003

रोहित सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य।

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सुश्री शिप्रा बिस्वास याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री पंकज श्रीवास्तव, राज्य/ उत्तरवादी की ओर से उपस्थित अधिष्ठित अधिवक्ता।

आदेश

(25-07-2005)

सुनील कुमार सिन्हा , न्यायमूर्ति

(1) यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि 23.11.1942 के स्थान पर 27.11.1948 दर्ज करने तथा 23.11.1942 से गणना करते हुए 60 वर्ष की अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के आधार पर उसे पंप ऑपरेटर के पद पर बहाल करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है, जहां से उसे 30.11.2002 को सेवानिवृत्त कर दिया गया है ।

(2) याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि जब वह पंप ऑपरेटर के पद पर काम कर रहा था, तो उसे दिसंबर, 2000 में पता चला कि वह बहुत जल्द सेवानिवृत्त होने वाला है और नवंबर, 2002 तक वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। पूछताछ करने पर उसे पता चला कि सेवा पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि 27.11.1948 की बजाय 23.11.1942 दर्ज है और इसलिए उसे सेवानिवृत्त किया जाना है। यह जानकारी मिलने के बाद उसने तुरंत उत्तरवादियों को एक पत्र लिखा लेकिन उन्हें उनसे कोई जवाब

नहीं मिला। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उत्तरवादियों को पंजीकृत डाक से 23.3.2001 (अनुलग्नक-P/2) को एक नोटिस भेजा और सुधार की मांग की। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं किया गया और अंततः वे 30.11.2002 को सेवानिवृत्त हो गये।

(3) याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संचालक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा 28.11.2001 को पंजीकरण के पश्चात 30.11.2001 को जारी जन्म प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-P/4) की प्रति संलग्न की है। उनसे विद्यालय के प्रवेश पंजी के सुसंगत पृष्ठ की प्रति तथा शासकीय विद्यालय, कवर्धा, जिला- राजनांदगांव से जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-P/5) की प्रति तथा म्युनिसिपल विद्यालय से जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न की है, जिसमें दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता कक्षा 6 उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यालय छोड़ रहा है। इन सभी दस्तावेजों में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 27.11.1948 अंकित है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि इस याचिका से पहले याचिकाकर्ता ने लगभग समान अनुतोष के लिए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर के रायपुर पीठ के समक्ष मूल आवेदन ओ.ए. संख्या 1410/2001 के तहत एक मूल आवेदन दायर किया था, लेकिन न्यायाधिकरण की उक्त पीठ में कोई पीठासीन अधिकारी या सदस्य नहीं था और मामले अनावश्यक रूप से लंबित थे, इसलिए याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष यह रिट याचिका दायर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन्होंने यह भी तर्क किया कि अंततः न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया है और मामले उच्च न्यायालय को हस्तांतरित किए जा रहे हैं और उक्त मूल आवेदन को उचित चरण में वापस ले लिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) रिटर्न राज्य/ उत्तरावादीगण की ओर से दाखिल किया गया है।

(6) राज्य द्वारा यह निवेदन/तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के अंतिम समय में, जब वह सेवानिवृत्त होने वाला था, अपनी जन्मतिथि को सही करने के लिए आवेदन किया था। यह भी निवेदन/तर्क किया गया है कि याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में उल्लिखित जन्मतिथि 23.11.1942 है, जो सेवा में प्रवेश के समय याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं की घोषणा के आधार पर है। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत विवरण के संबंध में घोषणा पत्र, जिसे राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 351 C.R. 23-41 1/3/7 दिनांक 06.07.1971 के अनुसरण में दाखिल किया जाना था, भी याचिकाकर्ता द्वारा भरा गया था, जिस पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर हैं, जिसमें भी याचिकाकर्ता ने अपनी जन्मतिथि 23.11.1942 बताई है। इस दस्तावेज पर याचिकाकर्ता की तस्वीर है और इसे अनुलग्नक-R/1 के रूप में दाखिल किया गया है। सेवा पुस्तिका के संबंधित पृष्ठ की एक प्रति भी अनुलग्नक-R/2 के रूप में दाखिल की गई है, जिसमें जन्मतिथि 23.11.1942 बताई गई है, जिस पर नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता के उंगलियों के निशान हैं और संबंधित स्तंभ में उसके पांच नमूना हस्ताक्षर हैं।

(7) इस जवाब/ उत्तर प्रत्युत्तर का जवाब याचिकाकर्ता ने 17.09.2004 को दाखिल किया है जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि वास्तव में रिक्त घोषणा पत्र में उसके हस्ताक्षर लिए गए थे और उसमें उल्लेखित सभी विवरण विभाग द्वारा भरे गए हैं, न कि याचिकाकर्ता द्वारा। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सेवा पुस्तिका की प्रति नहीं दी गई थी, इसलिए उसे उसमें दर्ज अपनी जन्म

तिथि के बारे में पता नहीं था और यह गलती तब तक जारी रही जब तक याचिकाकर्ता को इसके बारे में पता नहीं चला।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि सेवा अभिलेख में गलत प्रविष्टि की जानकारी होने के पश्चात याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.12.2001 को अनुलग्नक-P/9 के माध्यम से उपमंडल अधिकारी के समक्ष उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने अनुलग्नक-P/10 दस्तावेज का संदर्भ दिया जो कि अधीक्षण अभियंता (प्रशासन) द्वारा जल संसाधन विभाग के सचिव को दिनांक 21.11.2002 को लिखा गया ज्ञापन है, जिसमें कहा गया है कि सेवा अभिलेख में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 23.11.1942 अंकित है, जबकि विभाग के समक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के अनुसार उसकी जन्म तिथि 27.11.1948 प्रतीत होती है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा इन दस्तावेजों की जांच की गई तथा सही पाया गया। यह लिखने के पश्चात अधीक्षण अभियंता ने याचिकाकर्ता के मामले में शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि जन्मतिथि 23.11.1942 मानते हुए याचिकाकर्ता को 30.11.2002 को सेवानिवृत होना है।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि दिनांक 21.11.2002 के इस ज्ञापन के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधीक्षण अभियंता याचिकाकर्ता द्वारा उनके समक्ष दायर दस्तावेजों से पूरी तरह संतुष्ट थे कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 27.11.1948 है और कार्यकारी अभियंता की ओर से मामले को समय पर शासन के पास विचारार्थ न भेजकर देरी हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं को भी विस्तार से सुना है तथा संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(11) सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम हरनाम सिंह, (1993) 2 एससीसी 162** के मामले में माना है कि एक सिविल सेवक के लिए अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा करने हेतु रास्ता खुला है, यदि उसके पास पहले दर्ज की गई जन्मतिथि से भिन्न उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य सबूत हैं और भले ही जन्मतिथि में सुधार की मांग करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है, सरकारी कर्मचारी को बिना किसी अनुचित देरी के ऐसा करना चाहिए। जन्मतिथि में सुधार के लिए नियमों में किसी प्रावधान के अभाव में, लापरवाही या पुराने दावों के आधार पर अनुतोष देने से इनकार करने का सामान्य सिद्धांत आमतौर पर न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा लागू किया जाता है। फिर भी सरकार के लिए सेवा नियमों में समय-सीमा तय करने हेतु शासन सक्षम है, जिसके बाद किसी शासकीय कर्मचारी की जन्मतिथि में सुधार के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यदि कोई शासकीय कर्मचारी निर्धारित समय के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन करता है, तो वह अधिकार के तौर पर अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसके पास यह साबित करने के लिए अच्छे सबूत हों कि दर्ज की गई जन्मतिथि स्पष्ट रूप से गलत है। सीमा अवधि का कानून कठोर हो सकता है, लेकिन इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय या न्यायाधिकरण उन लोगों की सहायता नहीं कर सकते जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते और सीमा अवधि को समाप्त होने देते हैं। जब तक कि यदि किसी व्यक्ति की जन्मतिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो

उसकी दर्ज की गई जन्मतिथि उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित करेगी, भले ही यह उसकी वास्तविक आयु के आधार पर सेवा में बने रहने के उसके अधिकार को कम करने के बराबर हो। कोई लोक सेवक सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि पर विवाद कर सकता है और उसमें सुधार के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन जब तक अभिलेख में सुधार नहीं हो जाता, तब तक वह अपने द्वारा दावा की गई जन्मतिथि के आधार पर सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकता।

(12) सर्वोच्च न्यायालय ने **(2004) 3 एस.सी.सी 394** में प्रतिवेछित **पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम एस.सी. चड्ढा** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि 'जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन को न्यायालयों, न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा केवल संबंधित लोक सेवक को ध्यान में रखते हुए नहीं निपटाया जाना चाहिए। जब तक कर्मचारी द्वारा निर्णायक सामग्री के आधार पर स्पष्ट मामला नहीं बनाया जाता है, जिसे प्रकृति में निर्णायक माना जा सकता है और वह भी सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों में प्रदान किए गए उचित समय के भीतर, न्यायालय या न्यायाधिकरण को ऐसी सामग्री के आधार पर निर्देश जारी नहीं करना चाहिए या घोषणा नहीं करनी चाहिए जो ऐसे दावे को केवल प्रशंसनीय बनाती हो। ऐसा कोई निर्देश जारी करने या घोषणा करने से पहले, न्यायालय या न्यायाधिकरण को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है यदि ऐसा कोई नियम या आदेश नहीं बनाया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि ऐसा आवेदन किस अवधि के भीतर दाखिल किया जाना है, तो ऐसा आवेदन कम से कम उचित समय के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। आवेदक को ऐसे दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, जो उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य प्रमाण हो सकता है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न उठता है, तो आवेदक पर यह साबित करने का दायित्व होता है कि उसकी सेवा-पुस्तिका में उसकी जन्मतिथि गलत दर्ज की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) किसी शासकीय कर्मचारी की जन्मतिथि उसकी सेवा-पुस्तिका में दर्ज करने का मुख्य उद्देश्य सेवा की शर्तों या सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अंतर्गत उसकी सेवानिवृत्ति की एक निश्चित तिथि निर्धारित करना है। एक शासकीय कर्मचारी को तब तक सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है और न ही उसकी सेवा को सामान्य परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है जब तक कि वह अपने सेवा अभिलेख में जन्मतिथि की प्रविष्टि के आधार पर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। यदि किसी शासकीय कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में कोई गलत प्रविष्टि की जाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता है। शासकीय कर्मचारी को अपने सेवा में ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न होने पर इसके सुधार के लिए अनुरोध करने का अधिकार है। जन्मतिथि में सुधार के इस अधिकार का लाभ वैधानिक नियमों के तहत उठाया जा सकता है और यदि नियम हैं, तो नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया जिसमें सीमा की अवधि आदि शामिल है, का पालन किया जाना चाहिए। बहस के दौरान, इस न्यायालय ने राज्य की ओर से पेश उपस्थित अधिष्ठित अधिवक्ता से विशेष रूप से पूछा कि क्या सेवा अभिलेख में जन्मतिथि में सुधार के लिए ऐसे कोई नियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित हैं। अधिष्ठित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि यहां ऐसा कोई नियम प्रचलित नहीं है। इसलिए, जब इस संबंध में नियम नहीं बनाए गए हैं, तो मामले का निपटारा सामान्य रीति से किया जाना चाहिए और शासकीय कर्मचारी द्वारा अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। हालांकि, उपरोक्त दो मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों

के अनुपात के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन एक उचित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। उचित अवधि क्या होनी चाहिए, यह किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें जन्मतिथि की गलत प्रविष्टि के बारे में तथ्य बहुत लंबे समय तक कर्मचारी के ज्ञान में न रहा हो, लेकिन यह उसकी सेवा के अंत में उसके ज्ञान में आ सकता है और कुछ मामलों में, हालांकि शासकीय कर्मचारी को जानकारी हो सकती है, लेकिन उसने बहुत लंबे समय तक इसके सुधार के लिए कदम नहीं उठाए होंगे। इसलिए, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पेश की गई तर्क कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के अंत में अपनी जन्मतिथि में सुधार के लिए अनुरोध किया था और केवल इस आधार पर राज्य द्वारा उसके दावे पर विचार नहीं किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, हम यह निर्धारित करेंगे कि याचिकाकर्ता को अपने सेवा अभिलेखों में की गई गलत प्रविष्टि के बारे में कब पता चला। यदि हम मामले के अभिलेखों की जांच करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने यह तर्क दी है कि उसे अपने मामले में भरे गए घोषणा-पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनसे निवेदन प्रस्तुत किया कि यद्यपि घोषणा-पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं, लेकिन हस्ताक्षर खाली फॉर्म (अनुलग्नक-R/1) में प्राप्त किए गए हैं और प्रविष्टियाँ कुछ बाद की तारीखों में की गई हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रविष्टियाँ याचिकाकर्ता के हाथ से नहीं लिखी गई हैं। यह भी कहा गया है कि सेवा-पुस्तिका की प्रति याचिकाकर्ता को कभी नहीं दी गई थी, इसलिए, याचिकाकर्ता को इन दोनों दस्तावेजों यानी अनुलग्नक-R/1 और R/2 में उल्लिखित गलत जन्म तिथि के बारे में पता नहीं चल सका। जब उसे वर्ष 2000 में इन प्रविष्टियों के बारे में पता चला, तभी उनसे अपने सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारी को जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया, जिसे अंततः अधीक्षण अभियंता ने अपने ज्ञापन दिनांक 21-11-2002 अनुलग्नक-P/10 के माध्यम से अग्रेषित किया। इन सभी तथ्यों और दस्तावेजों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को गलत जन्मतिथि की प्रविष्टि के बारे में दिसंबर 2000 में ही पता चल गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) अनुलग्नक-P/10 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत है।

"क्रमांक-3316108/छ0ग0/2001

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग

रायपुर

छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक 21/11/2002

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, रायपुर

विषयः- श्री राहित सिंह पंपचालक के सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि बदलने एवं नामांकन बदलने बाबत् ।

संदर्भ- म०अ० महानदी गोदावरी कछार रायपुर के पत्र क्रमांक 636/एम./स्था. (सा)/म.गो.क./2001 दिनांक 21/11/02 ।

विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र क्रमांक 636/एम./स्था. (सा)/म.गो.क /2001 दिनांक 21/11/2002 की छाया प्रति सहपत्रों की प्रति सहित संलग्न है ।

श्री रोहित सिंह पंप चालक (का.स्था.) की सेवा पुस्तिका के अनुसार प्रथम बार अंकित जन्मतिथि 23/11/1942 है। जन्म प्रमाण पत्र एवं शाला स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के अनुसार इनकी जन्मतिथि 27/11/1948 अंकित है । जिसे इस कार्यालय द्वारा मूल प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया है एवं यह सही पाया गया है इस महत्वपूर्ण प्रकरण में संबंधित कार्यपालन यंत्री द्वारा समय रहते वांछित कार्यवाही नहीं की गई ऐसा प्रतीत होता है।

अतः अल्प समय को दृष्टि में रखते हुए कृपया प्रकरण पर अविलंब कार्यवाही हेतु अनुरोध है, क्योंकि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि के आधार पर दिनांक 30/11/2002 को सेवानिवृत्त कर दिया जावेगा ।

सहपत्रः- उपरोक्तानुसार ।

अधीक्षण यंत्री (प्रशा०)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता जल संसाधन विभाग, रायपुर छत्तीसगढ़"

30.11.02 को

सेवा निवृत्ति तिथि

को देखते हुए तत्काल निर्णय लेवें ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस दस्तावेज़ में अधीक्षण अभियंता द्वारा लिखे गए शब्द "जन्मतिथि 27/11/1948 अंकित है। जिसे इस कार्यालय द्वारा मूल प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया है एवं यह सही पाया गया है" से पता चलता है कि प्रमाणपत्रों में जन्म तिथि के संबंध में प्रविष्टियाँ कम से कम अधीक्षण अभियंता की संतुष्टि के लिए सही पाई गईं और उसके बाद ही मामला शासन के संबंधित सचिव को भेजा गया था।

(15) यदि हम दस्तावेज अनुलग्नक-P/5, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कवर्धा, जिला: राजनांदगांव का स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, जो 27-2-1998 को जारी हुआ प्रतीत होता है, की जांच करें तो यह स्पष्ट होगा कि याचिकाकर्ता को उक्त संस्था में कक्षा 6वीं में 2-7-1962 को प्रवेश मिला था तथा उसने वहां 15-12-1963 तक अध्ययन किया तथा उसके बाद उसने 16-12-1963 को अपनी संस्था छोड़ दी। इस प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 27-11-1948 अंकित है। इसी प्रकार दस्तावेज अनुलग्नक-P/6, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र 30-4-1962 को जारी हुआ जिसमें दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता ने 1-7-1958 से 30-4-1962 तक प्राथमिक शाला, कवर्धा में अध्ययन किया। इस प्रमाण पत्र में भी याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 27-11-1948 दर्शाई गई है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रवेश पंजी की प्रति भी दाखिल की गई है जिसमें याचिकाकर्ता का नाम सरल क्रमांक 2341 पर दर्शाया गया है। इस पंजी में भी याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 27-11-1948 दर्शाई गई है। याचिकाकर्ता को कक्षा-6 में भर्ती दिखाया गया है। प्रवेश रजिस्टर की प्रति, स्थानांतरण प्रमाण पत्र अनुलग्नक-P/5 और साथ ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र अनुलग्नक-P/6 दिनांक 30-4-1962 स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं और उन सभी से यह पता चलता है कि जहां तक शैक्षणिक अभिलेख का संबंध है, उन रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 27-11-1948 बताई गई है। ये वैधानिक दस्तावेज हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर कोई विवाद नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) यदि याचिकाकर्ता ने स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन के साथ ये सभी दस्तावेज दाखिल किए थे और स्थानीय प्राधिकरण ने भी यह राय बनाई थी कि दस्तावेजों को देखा गया और अनुलग्नक-P/10 दिनांक 21-11-2002 के अनुसार सही पाया गया तथा मामला राज्य सरकार को भेज दिया गया था, तो राज्य सरकार का दायित्व था कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर आदेश पारित कर उसके मामले का निर्णय करे, जिसे ज्ञापन दिनांक 21-11-2002 के तहत विधिवत रूप से उसके पास भेज दिया गया था।

(17) याचिकाकर्ता को छठी कक्षा उत्तीर्ण बताया गया है। उसके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज, खास तौर पर उसके शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित प्रमाण पत्र पुराने दस्तावेज हैं और वे उसकी जन्मतिथि से संबंधित अकाट्य और पुख्ता सबूत हो सकते हैं। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सभी प्रयास बेकार हो गए, जब राज्य ने 21-11-2002 को अनुलग्नक-P/10 के तहत अधीक्षण अभियंता द्वारा भेजे गए उसके दावे पर फैसला नहीं किया और दावे को स्थगित रखकर उसकी सेवानिवृत्ति कर दी गई।

(18) शासकीय कर्मचारी अपने द्वारा दावा किए गए अनुतोष के लिए हकदार हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन वह अपने राहत की पूर्ति के लिए किए गए दावे पर उचित विचार के लिए हमेशा हकदार है। यदि विधानमंडल द्वारा कोई वैधानिक प्रावधान किए जाते हैं या राज्य द्वारा किसी विशेष दावे पर विचार करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं, तो उन्हें मामले से निपटने के दौरान राज्य के अधिकारियों द्वारा लागू किया जाना चाहिए, लेकिन जहां ऐसा कोई कानून नहीं लाया गया है और राज्य द्वारा ऐसा कोई निर्देश या नीति जारी नहीं की गई है, वहां विचार का अधिकार सामान्य सिद्धांतों द्वारा शासित होगा।

(19) मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य ने कोई नियम नहीं बनाए हैं और जन्म तिथि के विवाद पर निर्णय के संबंध में कोई निर्देश/परिपत्र/नीति इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई है, इसलिए, इस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता के शैक्षणिक अभिलेख से पता चलता है कि उसमें दर्ज उसकी जन्म तिथि 27-11-1948 है और गलत प्रविष्टि के बारे में याचिकाकर्ता को दिसंबर 2000 के महीने में जानकारी मिली है, मैं यह उचित समझता हूं कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता द्वारा किए गए और अधीक्षण अभियंता द्वारा उसे भेजे गए दावों पर निर्णय ले।

(20) एतद् द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार के संबंधित सचिव, अधीक्षण अभियंता द्वारा 21.11.2002 को भेजे गए याचिकाकर्ता के प्रकरण (अनुलग्न P/10) पर निर्णय लेंगे और इसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, जो उसके विद्यालय के प्रवेश प्रमाणपत्र और विद्यालय के प्रवेश पंजी की प्रति के रूप में हैं, पर विचार करेंगे। सचिव इन दस्तावेजों की सामग्री की सत्यता के संबंध में जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में सचिव द्वारा एक तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा। हालाँकि, चूँकि याचिकाकर्ता 30-11-2002 को पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए यह पूरी प्रक्रिया आज से 3 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(21) परिणामस्वरूप, रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सही /-

सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश

वट्ठी

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Ankita Shukla

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur